कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

निविदा का तकनीकी प्रपत्र

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को ए.बी.सी. गाईडलाईन अनुसार बधियाकरण, टीकाकरण करने एवं श्वान केन्द्र संचालन एवं संधारण कार्य एक वर्षीय अनुबन्ध

फर्म का नाम : ....

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 11/12/24 से 24/12/24 (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 11/12/24 से 24/12/24 (सांय 6.00 बजे तक)
- प्रि–बिड मिटिंग : 16/12/24 (सांय 04:00 बजे अति० आयुक्त कक्ष)
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 26/12/24 (दोपहर 12.00 बजे)
- अनुमानित राशि : 97,00,000/–
- धरोहर राशि : 1,94,000/–
- निविदा शुल्क : 3500/–
- प्रोसेसिंग शुल्क : 1000/–
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।

क्र.सं	तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां/नहीं	संलग्न पेज सं0
1	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन पर जमा कराने के Kota MC पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।		
2	स्थाई पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज आदि की स्वप्रमाणित प्रति		
3	निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित		
4	पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति		
5	फर्म/एन.जी.ओ का ब्लेक लिस्टेड/डी–बार नही होने का होने बाबत् नवीनतम् रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनिकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा		
6	फर्म/एन.जी.ओ का निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत् नवीनतम् रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनिकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा		
7	जी.एस.टी. पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति ।		
8	फर्म/एन.जी.ओ/संवेदक को किसी भी राजकीय विभाग अथवा राजकीय उपक्रम, नगर निकाय/सार्वजनिक उपक्रम में डोजर संचालन या समान प्रकृति के कार्य का गत 3 वर्ष का निम्नानुसार सम्पादित कार्य जिसका अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा :– ➢ एक कार्य का अनुमानित लागत का 80: के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। या ➢ दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 50% के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। या ➢ तीन कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 40% के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
9	फर्म/एन.जी.ओ का नगरीय निकाय में 4000 श्वानो का बधियाकरण एवं टीकाकरण का अनुभव।		
10	फर्म/एन.जी.ओ के अधीन अनुभवी पशु चिकित्सक एवं डॉग केचर का 05 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति		
11	एनेक्सर ए बी सी डी हस्ताक्षर युक्त		
12	फर्म/एन.जी.ओ का विगत 03 वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 मे औसत 10 लाख से अधिक का टर्न ओवर की सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। (वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25) के वित्तीय दस्तावेज बैलेंसशीट: P&L,A/C,Net Worth)		
13	ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. के पंजीकरण की प्रति		
14	श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लाईसेंस की प्रति यदि उपलब्ध नही होने पर कार्यादेश जारी होने के 01 माह में उपलब्ध करवानी होगी।		
15	A.W.B.I Recognizetion Latter/प्रमाण पत्र		

नोटः– तकनीकी बिड़ में सफल संवेदको की ही वित्तीय बिड़ खोले जाने की सूचना वेब साईट पर डाउनलोड की जावेगी।

अरविन्द

हस्ताक्षर संवेदक

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर

अति0 आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

email : nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org

वित्तीय निविदा प्रपत्र

अति० आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

फर्म का नाम : ....

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से): 11/12/24 से 24/12/24 (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 11/12/24 से 24/12/24 (सांय 6.00 बजे तक)
- धरोहर राशि / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।
- निविदा / तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 26/12/24 (साय 4.00 बजे)
- अनुमानित राशि : 97,00,000 /-
- बिड़ सिक्योरिटी : 1,94,000 /-
- निविदा शुल्क : 3500 /-
- प्रोसेसिंग शुल्क : 1000 /-

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रति श्वान / डॉग दर सभी कर सहित
1	नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को ए.बी.सी. गाईडलाईन अनुसार बधियाकरण, टीकाकरण करने एवं श्वान केन्द्र संचालन एवं संधारण कार्य एक वर्षीय अनुबन्ध	

नोट :–1. दरो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....

मोबाईल नं0 ....

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को ए.बी.सी. गाईड लाईन अनुसार बधियाकरण व टीकाकरण करने एवं श्वान केन्द्र के संचालन एवं संधारण कार्य एक वर्षीय अनुबन्ध की निविदा की शर्ते

1. निविदा ऑनलाईन भरी जावेंगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी। जिसका साक्ष्य निविदा की तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा तकनीकी बिड पर विचार नहीं होगा।
2. निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी। उक्त ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन फर्म अथवा फर्म के प्रोपराइटर के बैंक खाते से करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फिडिंग अलग होगी तथा वित्तीय बिड की फिडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ओपन की जायेगी। उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओ की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
4. नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा स्थापित श्वान केन्द्र में स्थित को संचालन करना होगा।
5. ए.बी.सी प्रोग्राम हेतु निविदा का अनुबन्ध एक वर्ष की समयावधि के लिये होगी।
6. नगर निगम के अधिकारियें के द्वारा श्वान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान केन्द्र में गंदगी होने पर या अनियमितता पाए जाने पर निगम में अधिकृत अधिकारी द्वारा रू. 2000/– प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकती है। जिसका भुगतान संवेदक द्वारा उसी दिन नगर निगम कोटा उत्तर कोष में जमा करवाना होगा।
7. संस्था/N.G.O का कार्य संतोषजनक न होने पर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति के साथ रिपोर्ट पेश करने का अधिकार होगा। जिस पर निगम के प्राधिकारी द्वारा निविदा निरस्त की जा सकती हैं।
8. श्वान केन्द्र में अवरूद्ध श्वानों का रख–रखाव ऑपरेशन के पूर्व व पश्चात् भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन Extra Ordenary–1923 दिनांक 24.12.2001 में दी गई व्यवस्था अनुसार रखना होगा।
9. श्वान केन्द्र में बधियाकरण हेतु शहर से श्वान पकड़वाने का कार्य बिना किसी प्रकार की क्रूरता के संवेदक को ए. बी. सी. नियम 2001 के अनुसार करना होगा।
10. श्वान पकडने एवं छोडते समय श्वान नियंत्रण हेतु जारी भारत सरकार के राजपत्र एनीमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स 2001 में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा ।
11. फर्म/एन.जी.ओ. को ए.बी.सी रूल्स 2001 एंव AWBI द्वारा जारी गाईडलाइन पर कार्य करना होगा।
12. फर्म/एन.जी.ओ. को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी समस्त दिशा निर्देशों, नियमो की सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
13. फर्म/एन.जी.ओ. को श्वान केन्द्र में रखे जा रहे श्वानो के भोजन एंव औषधियों का व्यय स्वयं को करना होगा। फर्म/एन.जी.ओ. को प्रतिमाह 05 तारीख से पूर्व बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात श्वानो के टेस्टिकल/ओवरित नगर निगम कोटा उत्तर के नोडल अधिकारी ए.बी.सी द्वारा गिनती की जावेगी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा प्रमाणिकरण उपरान्त उपायुक्त/अति० आयुक्त के माध्यम से बिल प्रस्तुत करना होगा। उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा एवं उक्त डिस्पोजल बी. एम. डब्ल्यू निस्तारण नियम अधीन करना होगा।
14. श्वानो केन्द्र में स्थापित उपकरणों भवन, पानी के बोरिंग, बिजली इत्यादि कनेक्शन की रख–रखाव व उस पर होने वाला व्यय फर्म/एन.जी.ओ को करना होगा।
15. श्वानो केन्द्र संचालन में नियुक्त सभी स्टॉफ का प्रबंधन फर्म/एन.जी.ओ को करना होगा व उस पर होने वाला व्यय भी फर्म/एन.जी.ओ को करना होना एवं प्रबंधक को रिकॉर्ड संधारित करना होगा।
16. श्वान पकडने में प्रयुक्त वाहन व स्टॉफ की व्यवस्था व उस पर होने वाले व्यय फर्म/एन.जी.ओ को करना होगा।
17. पकडे गये श्वानों एवं बद्धियाकरण किए गए श्वानों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्षेत्रवार एवं वर्षवार फर्म/एन.जी.ओ को रखना होगा। निगम अधिकारी/निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।
18. बद्धियाकरण किए गए श्वानों के टेस्टीकल/ओवरिज को भौतिक सत्यापन हेतु रखना होगा। वैधानिक दृष्ट से निर्धारीत मापदण्ड अनुसार कार्य का भौतिक सत्यापन ए.बी.सी प्रोग्राम के नोडल अधिकारी/पशु चिकित्सक एवं नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।
19. फर्म/एन.जी.ओ को प्रतिमाह लगभग 700 (नर–मादा) श्वानों का बद्धियाकरण करना होगा एवं नर/मादा बधियाकरण का Ratio समय–समय पर प्रभारी अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा उसी अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

20. फर्म/एन.जी.ओ को बद्धियाकरण के साथ ही तीन वर्षीय रेबीज वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होगा। जिसका समस्त रिकार्ड संधारण करना होगा।

21. श्वान केन्द्र संचालन एवं ए.बी.सी प्रोग्राम का फर्म/एन.जी.ओ को किसी भी नगरीय निकाय में कुल 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। फर्म/एन.जी.ओ को निविदा में सफल होने एवं तकनिकी सुदृष्टता होने पर कार्यादेश एक वर्ष का दिया जायेगा। आपसी सहमति से एक वर्ष ओर बढ़ाया जा सकेगा।

22. फर्म/एन.जी.ओ को किसी भी नगरीय निकाय में कुल 4000 (चार हजार) श्वानो का बधियाकरण एवं टीकाकरण का अनुभव अनिवार्य होगा।

23. फर्म/एन.जी.ओ द्वारा ए.बी.सी प्रोग्राम हेतु पंजीकृत (पशु चिकित्सक) डॉग केप्चर का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

24. फर्म/एन.जी.ओ को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि जमा करवानी होगी। संवेदक को ठेका स्वीकृत होने पर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध नही करने पर या प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर जमा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।

25. संस्था को नगर निगम कोटा उत्तर से कार्य के भुगतान पेटे प्राप्त होने वाली राशि पर राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिरोपित करो का भुगतान स्वयं द्वारा करना होगा।

26. संस्था को कार्यादेश देने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि संवेदक को दिए गए आदेश के अनुरूप कार्य नही करता है या कार्य संतोषप्रद नही होने पर अपने स्तर पर अथवा अन्य किसी एजेन्सी से कार्य करवाना पडे तो उस रिस्क एण्ड कोस्ट पर हर्जा खर्जा संवेदक से वसूल किया जायेगा।

27. निविदा में भाग लेने वाली संस्था/एन.जी.ओ ब्लेक लिस्ट नही होना चाहिए तथा संस्था/NGO के विरूद्ध कोई किसी प्रकार की देयता बकाया नहीं है. इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

28. संस्था/एनजीओ द्वारा ए.बी.सी. प्रोग्राम में जीएसटी कर एवं श्रमिकों के ई.एस.आई./पी.एफ. की समस्त जिम्मेदारी स्वयं को ही वहन करनी होगी।

29. संस्था/एनजीओ द्वारा श्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण के साथ-साथ रेबीजग्रस्त श्वानो को एवं जो आमजन को नुकसान कर सकते है, को पकड़ना आवश्यक होगा इस प्रकार के श्वानो को पकडने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी एवं आवश्यक उपकरण रखना आवश्यक होगा।

30. संस्था/एनजीओ द्वारा एक वर्ष का कार्य संतोषजनक किये जाने पर कार्य तद्उपरांत्र पशु क्रयता निवारण अधिनियम 1963 पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 के नियमों के पालना करते हुए निस्तारण करना होगा तथा नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

31. नगर निगम कोटा उत्तर बिना कारण बताऐ निविदा निरस्त कर सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय माननीया महापौर व आयुक्त महोदय नगर निगम कोटा उत्तर का होगा।

32. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर लिखित नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त की जा सकेगा।

33. संस्था/NGO कार्य द्वारा ठेका किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी अवस्था में हस्तान्तरण नही किया जा सकता।

34. निविदा दस्तावेज में नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा निविदा जारी होने के पश्चात् कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निविदा डाले जाने से पूर्व पोर्टल पर कोरीजेन्डन/एडेन्डम के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

35. संस्था/NGO द्वारा संतोषप्रद रूप से अनुबन्ध का पालन नही करने की स्थिति में नगर निगम उत्तर को एक तरफा अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा। ठेका श्रमिकों के व्यवहार, आचरण एवं गैर कानूनी कार्यों में लिप्त न होने बाबत संवेदक की जिम्मेदारी होगी नगर निगम कोटा उत्तर इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

36. संस्था/एन0जी0ओ0 को अपने अधीन लगाये गये मानव श्रम को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। श्रम कानून/श्रम आदेशो की पालना करनी होगी। इसकी अवेहलना करने पर न्यायालय या विभाग द्वारा लगाई गई किसी भी प्रकार की शास्ती/दण्ड के लिये फर्म /एन०जी०ओ० स्वयं जिम्मेदार होगे।

37. संस्था/एन०जी०ओ० को अपने अधीन सभी कार्मिको का सामूहिक बीमा कराना होगा साथ ही वर्क्स मेन कम्पन्नशेसन एक्ट के अन्तर्गत कोई दायित्व सृजित होता है उसके लिये फर्म/एन०जी०ओ० पूर्ण उत्तरदायी होगा।

38. किसी भी न्यायिक अथवा गैर न्यायिक वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार कोटा स्थित न्यायालय होगा।

39. न्यायिक क्षेत्र कोटा शहर, कोटा होगा।

40. आर०टी०पी०पी० एक्ट 2012 एवं आर०टी०पी०पी० रूल्स 2013 की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

41. फर्म/संस्था/NGO द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा आवंटित कार्य के पेटे केन्द्रय सरकार, राज्य सरकार, अथवा अन्य किसी संस्था अनुदान प्राप्त करेगा तो उस राशि का समायोजन हेतु निगम प्रशासन को अवगत करावेगा ऐसा नही करना पाया जाने पर फर्म/संस्था/NGO को काली सूची में डाला जावेगा तथा जमा धरोहर राशि में समायोजन किये जाने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।

Scanned with OKEN Scanner

42. नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा नियमानुसार न्यूनतम अनुमोदित दरो पर तकनीकी रूप से सफल में से एक से अधिक फर्म/संस्था को उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया जा सकेगा/कार्य का विभाजन किया जा सकता है।
43. नियमों में विसंगति होने पर आर०टी०पी०पी० एक्ट 2012 एवं आर०टी०पी०पी० रुल्स 2013 सर्वोपरी होगें।
44. निविदादाता को ओ०टी० में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना होगा बधियाकरण एवं टीकाकरण की रिकोर्डिंग के लिए।
45. निविदादाता सभी कुत्तों की डीवार्मिंग करेगा।
46. निविदादाता कुत्तों के प्रजनन अंगों को BMW निस्तारण नियमों के अनुसार निस्तारित करेगा।
47. निविदादाता रेबिज संभावित कुत्तों के केनाल्स एवं आइसोलेशन सुविधा भी उपलब्ध करवायेगा एवं उनका ब्रेन सेम्पल रखेगा।
48. A.W.B.I Recognized Animal WellFair Organisation ही निविदा में भाग ले सकेगे। यदि किसी A.W.O के पास ऐसा Recognizetion नही हे तो कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा कराना होगा अन्यथा उसकी निविदा को निरस्त कर रिस्क एंड कोस्ट पर कार्यवाही की जा सकेगी।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी स्टेण्डर बिड डोक्यूमेंट पत्रांकः पीए/एफए/डीएलबी/2023/10390–10671 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार निम्न शर्तो की पालना अनिवार्य होगी ::–

49. निविदा में स्वीकृत सामग्री/सेवाओ की दरें कार्यादेश तिथि से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी, उक्त अवधि को आपसी सहमति से 01 वर्ष के लिये ओर बढ़ाया जा सकता है।
50. ई–बोली प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्न व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये (मय सील) eproc पोर्टल पर अपलोड करनी है। वित्तीय बिड ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय दर वाला बिड डॉक्यूमेन्ट केवल उन्ही फर्मों का खोला जायेगा, जिन्हें कमेटी द्वारा तकनीकी बिड डॉक्यूमेन्ट में योग्य समझा जायेगा।
51. निविदादाता निविदा राशि की 2.00 प्रतिशत अमानता राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति घोषणा पत्र की हार्डकॉपी फर्म द्वारा निर्धारित समय, दिनांक पर कार्यालय में जमा करानी होगी।
52. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड/डी – बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
53. फर्म का नाम एवं पता मय टेलीफोन नम्बर, फर्म की स्थिति एकाकी/पार्टनरशिप/प्रा.लि. आदि का विवरण संलग्न करना होगा। साथ ही फर्म का पैनकार्ड नं. की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। फर्म का स्वंय का नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्यालय स्थित होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
54. फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम् जीएसटी रिर्टन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
55. संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा सी.ए. से प्रमाणित ओडिटेड बेलेन्स शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।
56. संवेदक को किसी भी राजकीय विभाग अथवा राजकीय उपक्रम में समान प्रकृति के गत 3 वर्ष मे निम्नानुसार सम्पादित कार्य जिसका अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा :–

- एक कार्य का अनुमानित लागत का 80% के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

या

- दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 50% के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

या

- तीन कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 40% के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

57. संवेदक को निविदा में मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ती कर लगाया जाना आवश्यक होगा। यदि मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ती नहीं किये जाने पर उस फर्म को असफल माना जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

58. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
59. निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नानुसार प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।
    - विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक विलम्ब 2.50 प्रतिशत
    - विहित कालावधि से एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक बिलम्ब 5.00 प्रतिशत
    - विहित कालावधि के आधे से किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का बिलम्ब 7.50 प्रतिशत
    - विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का बिलम्ब 10.00 प्रतिशत
    - निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10.00 प्रतिशत
60. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संवदि के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
61. स्वीकृत निविदादाता की नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा समय–समय पर आदेश मिलने पर नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सामान की निर्देशानुसार पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। सामान टूट–फूट रहित साफ तथा अच्छी क्वालिटी का होना आवश्यक है। स्वीकृत निविदादाता को इसके लिये अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। सामान की संख्या में कमी या बढोतरी करने का अधिकार नगर निगम कोटा उत्तर को पूर्ण अधिकार होगा।
62. स्वीकृत निविदादाता को निविदा की शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी। शर्तों की अवहेलना/खराब सामान आपूति करने पर तथा विलम्ब पर नियमानुसार कार्यवाही कर नुकसान को वसूलने का नगर निगम कोटा उत्तर को पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे मामलों में फर्म के दोषी पाये जाने पर स्वीकृति निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। नई फर्म को निविदा द्वारा कार्यादेश दिये जाने तक नगर निगम कोटा उत्तर ठेकेदार की रिस्क व कोस्ट के आधार पर किसी अन्य (निविदा में भाग लेने वाली) फर्म से कार्य कराया जा सकेगा, जिसकी कटौती ठेकेदार से की जावेगी।
63. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।
64. सफल निविदादाता को सामग्री/सेवाओं की टेण्डर राशि की 5 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में रखी जायेगी। इसमें अमानता राशि को समायोजित करते हुए, शेष राशि ठेकेदार को जमा करानी होगी। यह निविदा अवधि तक नगर निगम कोटा उत्तर में जमा रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
65. सफल निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नगर निगम कोटा उत्तर के तहत शर्तों की पालना के संबंध में एक संविदा पत्र लिखना होगा, जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होगें।
66. निविदा की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार आपसी सहमति से नगर निगम/परिषद/पालिका को होगा। लेकिन यह निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व होना चाहिए तथा निविदा के कुल समय का 50% समय से पूर्व अपलोड होना चाहिए।
67. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें सभी कर सहित होगी।
68. फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर कटौती भुगतान करते समय की जायेगी।
69. यदि निविदादाता किसी कार्यादेश की पूर्ति समय पर नहीं कर पावे अथवा आदेशों की अवहेलना करता है, या आदेशों को लेने से मना करता है, तो 5000/– रू. प्रतिदिन की दर से जुर्माना आगामी होने वाले भुगतान राशि में से काटा जावेगा।
70. कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दूरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो ठेकेदार को मान्य होंगे। इसकी पुष्टि में बाद में आदेश जारी किये जा सकेंगे।
71. निविदादाता द्वारा दरें निकटतम रू. एवं पैसों में दी जावेगी।
72. ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने की अवस्था में नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा उचित समझे जाने पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मों से प्रथम निविदादाता (वर्तमान ठेकेदार) की अनुमोदित दरों पर कार्य करने की सहमति लेकर कार्य कराया जा सकेगा, जो शेष अवधि के लिए होगा।
73. इस करार से उत्पन्न समस्त विवादों तथा इस करार के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रश्न नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा निर्णित किये जायेंगे और नगर निगम कोटा उत्तर का निर्णय अंतिम होगा।
74. सिविल विवाद की स्थिति में स्थानीय सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा।

45

Scanned with OKEN Scanner

75. राज्य सरकार व नगर निगम कोटा उत्तर निर्देश मान्य होंगे। द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश मान्य होगाँ।
76. निविदादाता को ई–मेल द्वारा सूचना दी जा सकती है। इसलिए आप अपने फैक्स नम्बर साथ ही ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर देने जरूरी होंगे।
77. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
78. निविदादाता द्वारा किसी भी आईटम की दर प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जायेगा।
79. दर संविदा हेतु किसी निविदादाता द्वारा अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक दरें दी जाती है, तो उसकी निविदा निरस्त कर अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
80. यदि किसी निविदादाता द्वारा टेण्डर की राशि से कम दर भरी जाती है तो सफल निविदादाता को एल.ओ.ए. (स्वीकृति प्रत्र) जारी किये जाने के 14 दिवस के अन्दर अन्तर की राशि बीजी/एफडीआर/एनएससी के रूप में नगर निगम कोटा उत्तर मे जमा करानी होगी। कार्य संतोषप्रद पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।
81. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र तथा एनेक्सचर A, B & C को स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
82. निविदादाता दरों की वैधता अवधि खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होगी।
83. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 की सभी नियमों एवं शर्ते पूर्णतः प्रभावी रहेगी।

अति० आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

Scanned with OKEN Scanner